इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2023—माघ 7, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2023

क्र. 1576-34-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 जनवरी 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०२३

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२२

[दिनांक २५ जनवरी, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २७ जनवरी, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा १३३-क में उपधारा (१) में, द्वितीय पैरा में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

''परन्तु उन मामलों में, जहां राज्य सरकार किसी स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण या अंतरण के लिए किसी लिखत पर प्रभार्य स्टांप शुल्क से छूट प्रदान करती है, वहां अतिरिक्त स्टांप शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा.''.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा १६१ में, उपधारा (१) में, विद्यमान परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

''परन्तु उन मामलों में, जहां राज्य सरकार किसी स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण या अंतरण के लिए किसी लिखत पर प्रभार्य स्टांप शुल्क से छूट प्रदान करती है, वहां अतिरिक्त स्टांप शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा.''.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2023

क्र. -34-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2023) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 7 of 2023

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (TRITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 25th January, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th January, 2023.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-third year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2022.

PART—I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (NO. 23 OF 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956. 2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in Section 133-A, in sub-section (1), Second paragraph, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that in case where the State Government exempts stamp duty chargeable on any instrument for conveyance or transfer of any immovable property, the additional stamp duty shall not be imposed.".

PART—II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO. 37 OF 1961)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961. 3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in Section 161, in sub-section (1), in existing proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that in case where the State Government exempts stamp duty chargeable on any instrument for conveyance or transfer of any immovable property, the additional stamp duty shall not be imposed.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.